15th March 2013

Press Note: Activists write to Ministry of Environment on Luhri Project Change in size, not the solution

Himdhara, Environment Research and Action Collective along with the Satluj Bachao Jan Sangharsh Samiti have raised serious issues with the random change in the capacity of the 775 MW Luhri Hydro-electric Project. The Ministry of Environment's Expert Appraisal Committee (EAC) on River Valley Projects had directed the SJVN to maintain higher environment releases from Luhri Dam, as a result of which the project (HEP) has undergone a reduction in capacity from 775 MW to 600 MW. The project proponents have reduced the design discharge from 480 to 380 cumecs. This would mean a realignment of the tunnel. News reports also revealed that in a meeting with CEA on January 3, 2013 it was decided that the project will be redesigned with the option of single tunnel of 10.5 diameter in place of twin tunnels of 9 meter diameter.

Activists, however, say that there is no reason to celebrate. "This is such a random and adhoc measure" said Nidhi Agarwal of Himdhara. In a letter written to Jayanthi Natrajan, the groups have stated "Any change in scope of the project calls for a fresh scoping clearance and Environment Impact Assessment as per the provisions of the EIA Notification 2006", she added

The letter also highlights that this reduction in size does not address the issue of the tunnel length and the absence of the free-flowing river for a stretch of 50 kms still remains. Further, the main contention of the local communities that the EIA report has no impact assessment of the tunnel and transmission line components of the project which will affect close to 78 villages, still stands.

Added Nek Ram Sharma of Satluj Bachao Jan Sangharsh Samiti, "If they are so concerned about environmental flows they need to look at the cascade of 30 odd dams on the Satluj River basin. If the Himachal Government has asked ICFRE, Dehradun to conduct a cumulative impact study to evaluate the impacts of all these projects, why cannot the environment clearances be put on hold till then?"

He further added that by granting Stage 1 forest clearance to the project, the Ministry of Environment has diluted its stand on not to allow diversion of forests without consent of the Gram Sabha and settlement of local rights under the Forest Rights Act 2006. These issues are linked and need to be seen as a whole. A mere reduction in size of the project from 775 to 600 MW will not address the deeper concerns related to ecological and social impacts of such destructive projects.

प्रैस विज्ञप्ति 15 March 2013

लुहरी जल विद्युत परियोजना पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं का केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र

परियोजना की क्षामता बदलना कोई हल नहीं

हिमधरा पर्यावरण अध्ययन एवं क्रिया समूह ने सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मिलकर 775 मैवा लुहरी जल विद्युत परियोजना में मनमानी ढंग से क्षमता में कमी किए जाने से संबंधित कई गंभीर मुद्दे उठाते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है।

पर्यावरण मंत्रालय की रिवर वैली परियोजनाओं के लिए गठित ऐक्सपर्ट अप्राइज़ल किमटि ने एसजेवीएनएल को निर्देश दिए थे कि लुहरी बांध से नदी में और अधिक पर्यावरणीय बहाव छोड़े जाने के उद्देश्य से, एसजेवीएनएल इस परियोजना की क्षमता को 775 मैव से घटाकर 600 मैवा कर दे। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना में बनाई जाने वाली सुरंग का रास्ता भी बदला जाएगा।

खबरों में यह भी पढ़ने को मिला है कि सीईए के साथ 3 जनवारी 2013 को की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि परियोजना के, 9–9 मीटर की दो सुरंग वाले डिज़ाइन को बदल कर, 10.5 मीटर चौड़ी एक सुरंग वाला बनाया जाएगा।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। "परियोजना के डिज़ाइन को मनमाने ढंग से बदला गया है", हिमधरा की निधि अग्रवाल का कहना है। जयंती नटराजन को लिखे एक ज्ञापन में पर्यावरण समूहों ने कहा है, "परियोजना के आकार या क्षमता में कोई भी बदलाव करने का मतलब है कि परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति के लिए फिर से आवेदन करना होगा और फिर से पर्यावरण प्रभाव आंकलन करवाना होगा — यह ईआईए अधिसूचना 2006 में स्पष्ट कहा गया है", उन्होंने जोड़ा।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि परियोजना की क्षमता घटा देने से सुरंग की 38 कि.मी. लंबाई से जुड़े मुद्दे संबोधित नहीं होते, जिसके कारण लगभग 50 कि.मी. नदी के बहाव में रुकावट पैदा होगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोग लगातार कहते आए हैं कि पर्यावरण आकलन रिपोर्ट में सुरंग और ट्रांसिमशन लाइन के प्रभावों का आकलन पेश नहीं किया गया है, जिसके कारण 78 गांवों में प्रभाव पड़ेंगे — और इस संबंध में अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है।

सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति के श्री.नेक राम शर्मा का कहना है, "अगर उन्हें पर्यावरण की इतनी ही चिंता है और इसके लिए वे पर्यावरणीय बहाव बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें पहले सतलुज पर प्रस्तावित या बनाई गई 30 विद्युत परियोजनाओं के संकलित प्रभावों का आकलन करना चाहिए। यदि हिमाचल सरकार ने आई. सी.एफ.आर.आई देहरादून को सतलुज पर प्रस्तावित या बनाई गई परियोजनाओं के संकलित प्रभाव आंकलन करने को कहा है, तो उसकी रिपोर्ट आने तक किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।"

उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना को प्रथम चरण की वन स्वीकृति दे कर पर्यावरण मंत्रालय अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया है – जिसमें उन्होंने कहा था कि, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत, ग्राम सभा की स्वीकृति और उनके अधिकारों की बंदोबसती के बिना कोई भी वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। यह सभी मुद्दे आपस में जुड़े हैं और इन्हें साथ में देखना ज़रूरी है। केवल परियोजना की क्षमता को 775 मैवा से घटाकर 600 मैवा कर देने से उससे जुड़े पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभाव कम नहीं हो जाते।

नेक राम शर्मा, सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति

निधि अग्रवाल, हिमधरा।